



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-10072026-274329  
CG-UP-E-10072026-274329

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3563]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2026/आषाढ 18, 1948

No. 3563]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2026/ASHADHA 18, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3725(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संसोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप) खण्ड-ii), दिनांक 20 मई 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्या काआ. 2590 (अ) दिनांक 18 मई 2026 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले के सदर तहसील में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् प्रयागराज – पं दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक सामाचार पत्रों, अर्थात्: "अमर उजाला" में तारीख 26 मई 2026 और "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" में तारीख 27 मई 2026 को प्रकाशित किया गया था;

और, इस परियोजना में प्राप्त सभी अक्षेपों का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया है

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

और, यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20 (च) की उपधारा (04) के अनुसरण में उपर्युक्त वर्णित भूमि में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मीरजापुर / ( सिंचाई) के समक्ष अपना दावा इस अधिसूचना के प्रकाशन के आगामी 20 दिवस में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में सदर तहसील के अंतर्गत 02 गांव का सक्षम प्राधिकारी अर्थात्: विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मीरजापुर / ( सिंचाई) के अधीन विशेष रेल परियोजना, अर्थात् प्रयागराज – पं दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	प्लॉट सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (हे.)	भू-स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	नेवढिया शिवगढ़	166	निजी	कृषि	0.2360	अशोक पुत्र रामनरेश कृष्णकान्त पुत्र छविनाथ दिलीप पुत्र रामनरेश फुलरी देवी पत्नी रामनरेश बॉकैलाल पुत्र रामनरेश महेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्रर राजू पुत्र रामनरेश राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्रर लक्ष्मीकान्त पुत्र छविनाथ सुमित्रा पत्नी रामचन्द्रर
<b>योग</b>					<b>0.2360</b>	
2	महडौरा	74	निजी	कृषि	0.1470	आयुष सिंह पुत्र सुरेन्द्र कुमार सिंह आरती सिंह पत्नी सुरेन्द्र कुमार सिंह कुन्ती पत्नी गौरीशंकर सिंह गीता सिंह पुत्री सुरेन्द्र कुमार चन्दन सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह नागेन्द्र कुमार पुत्र शिव शंकर सिंह

						पंकज सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह
						पूजा सिंह पुत्री सुरेन्द्र कुमार
						बृजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र शिव शंकर
						मालती सिंह पत्नी महेन्द्र प्रताप सिंह
						भूपेन्द्र कुमार सिंह पुत्र गौरीशंकर
						राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र शिवशंकर
						शत्रुधन सिंह पुत्र गौरीशंकर सिंह
		59	निजी	कृषि	0.1060	नमोकर पुत्र लालबहादुर
						भोथल पुत्र लालबहादुर
						मुरलीधर पुत्र शहदेव
						रामदुलार पुत्र शहदेव
						रामबहादुर पुत्र लालबहादुर
						विजय बहादुर पुत्र लालबहादुर
						श्यामलाल पुत्र सहदेव
						सरस्वती पत्नी लालबहादुर
		58	निजी	कृषि	0.0130	आयुष सिंह पुत्र सुरेन्द्र कुमार सिंह
						आरती सिंह पत्नी सुरेन्द्र कुमार सिंह
						कुन्ती पत्नी गौरीशंकर सिंह
						गीता सिंह पुत्री सुरेन्द्र कुमार
						चन्दन सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह
						नागेन्द्र कुमार पुत्र शिव शंकर सिंह
						पंकज सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह
						पूजा सिंह पुत्री सुरेन्द्र कुमार
						बृजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र शिव शंकर
						मालती सिंह पत्नी महेन्द्र प्रताप सिंह
						भूपेन्द्र कुमार सिंह पुत्र गौरीशंकर
						राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र शिवशंकर
						शत्रुधन सिंह पुत्र गौरीशंकर सिंह
		57	निजी	कृषि	0.4050	कुन्ती पत्नी गौरीशंकर सिंह
						भूपेन्द्र कुमार सिंह पुत्र गौरीशंकर
						शत्रुधन सिंह पुत्र गौरीशंकर सिंह
		29	निजी	कृषि	0.3200	आयुष सिंह पुत्र सुरेन्द्र कुमार सिंह
						आरती सिंह पत्नी सुरेन्द्र कुमार सिंह

						गीता देवी पुत्री सुरेन्द्र कुमार
						चन्दन सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह
						नागेन्द्र प्रताप पुत्र शिव शंकर सिंह
						पंकज सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह
						पूजा सिंह पुत्री सुरेन्द्र कुमार
						मालती देवी पत्नी महेन्द्र प्रताप सिंह
						राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र शिवशंकर
						विजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र शिव शंकर
				योग	0.9910	
				महायोग	1.2270	

[इ.फा. सं. एन.सीआर.-एच. क्यू.शून्य.सी. ई.एन.जी.(पी. एच 15)/5/2021-ओ/ओ डिप्टी. सी.ई./सी.इला.  
(कंप्यूटर सं. 51223), दिनांक: 24.11.2021]

राजकुमार वानखेडे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /निर्माण

## MINISTRY OF RAILWAYS

### [North Central Railway (Construction Department)]

#### NOTIFICATION

Prayagraj, the 7th July, 2026

**S.O. 3725(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Central Railway, Construction department), Notification number, **S.O. 2590(E)** dated the **18<sup>th</sup> May, 2026** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the **20<sup>th</sup> May, 2026** (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely special railway project of Prayagraj-Pt. Deendayal 3<sup>rd</sup> line doubling Railway project (150 km) in **District Mirzapur** in the state of Uttar Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “**Amar Ujala**” Dated: **26<sup>th</sup> May 2026** and “**The Times of India**” Dated **27<sup>th</sup> May, 2026** under sub section (4) of section 20 A of the said Act;

And whereas, all the objections received in this project have been disposed of by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

And, that all persons interested in the above-mentioned land in pursuance of sub-section (04) of section 20 (F) of the said Act by the Central Government are hereby informed that they may, personally or through an agent or legal practitioner, be notified by the competent authority **Special Land Acquisition Officer (Irrigation) / Mirzapur,**

can submit his claim in the next 20 days from the date of publication of this notification in the office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of Prayagraj-Pt. Deendayal 3<sup>rd</sup> line doubling Railway project (150 km) 02 village in Sadar Tehsil of District Mirzapur in the state of Uttar Pradesh under Special Land Acquisition Officer (Irrigation) / Mirzapur, District Mirzapur in the State of Uttar Pradesh.**

Sl.No.	Village Name	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Acquired Area (in Hect.)	Land Owner / Beneficiary Name
1	2	3	4	5	6	7
1	Newadhiya shivgarh	166	Private	Agriculture	0.2360	Ashok s/o Ram Naresh
						Krishnakant s/o Chhabinath
						Dilip s/o Ram Naresh
						Fulari devi w/o Ram Naresh
						Banke lal s/o Ram Naresh
						Mahendra kumar s/o Ram chandar
						Raju s/o Ram Naresh
						Rajendra kumar s/o Ramchandar
						Lakshmikant s/o chhavinath
						sumitra w/o Ramchandar
				<b>Total</b>	<b>0.2360</b>	
2	Mahadaora	74	Private	Agriculture	0.1470	Aayush singh s/o Surendra kumar singh
						Aarti singh w/o Surendra kumar
						Kunti w/o Gaorishankar singh
						Geeta singh d/o Surendra kumar singh
						Chandan singh s/o Mahendra Pratap
						Nagendra kumar s/o Shivshankar singh
						Pankaj singh s/o Mahendra pratap
						Pooja singh d/o Surendra kumar
						Brijendra kumar s/o Shivshankar singh
						Malti singh w/o Mahendra Pratap
						Bhupendra kumar s/o Gaorishankar
						Rajendra kumar s/o Shivshankar
						Shatrughna singh s/o Gauri shankar
		59	Private	Agriculture	0.1060	Namokar s/o Lal Bahadur
						Bhothal s/o Lal Bahadur
						Murlidhar s/o Sahadev
						Ramdular s/o Sahadev
						Rambahadur s/o Lal Bahadur
						Vijay Bahadur s/o Lal Bahadur
						Shyamlal s/o Sahadeev
						Sarashwati w/o Lal Bahadur
						58
Aarti singh w/o Surendra kumar						

						Kunti w/o Gaorishankar singh
						Geeta singh d/o Surendra kumar singh
						Chandan singh s/o Mahendra Pratap
						Nagendra kumar s/o Shivshankar singh
						Pankaj singh s/o Mahendra pratap
						Pooja singh d/o Surendra kumar
						Brijendra kumar s/o Shivshankar singh
						Malti singh w/o Mahendra Pratap
						Bhupendra kumar s/o Gaorishankar
						Rajendra kumar s/o Shivshankar
						Shatrughna singh s/o Gaori shankar
		57	Private	Agriculture	0.4050	Kunti w/o Gaorishankar singh
						Bhupendra kumar s/o Gaorishankar
						Shatrughna singh s/o Gaori shankar
		29	Private	Agriculture	0.3200	Aayush singh s/o Surendra kumar singh
						Aarti singh w/o Surendra kumar
						Geeta singh d/o Surendra kumar singh
						Chandan singh s/o Mahendra Pratap
						Nagendra kumar s/o Shivshankar singh
						Pankaj singh s/o Mahendra pratap
						Pooja singh d/o Surendra kumar
						Malti singh w/o Mahendra Pratap
						Rajendra kumar s/o Shivshankar
						Vijendra kuymar singh s/o Shivshankar
				<b>Total</b>	<b>0.9910</b>	
				<b>G. Total</b>	<b>1.2270</b>	

[e-file No.NCR-HQ0CENG(PH 15)/5/2021- O/O Dy CE/C/ALD (Computer No.51223) Dated: 24.11.2021]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer/ (Construction)